

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-573/2017/हनुमानगढ

मैसर्स लक्ष्मी काटन एण्ड जिनिंग इण्डस्ट्रीज,  
चक-3 आरटीपी, सांगरिया, हनुमानगढ।

....अपीलार्थी

बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-बी, गंगानगर।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ  
श्री राजीव चौधरी, सदस्य  
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुरेश ओझा  
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से


श्री आर.के.अजमेरा  
उप राजकीय अभिभाषक

....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 163/2016-17 में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.03.2017 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2013-14 हेतु आदेश दिनांक 13.07.2016 द्वारा 12,32,741/- रु की मांग कायम की है। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपील में अधिनियम की धारा 38(4) में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2017 द्वारा इस आधार पर खारिज किया है कि यह प्रकरण माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा मैसर्स अमर ट्रेडिंग कम्पनी, सांगरिया (अपील/1375/2016/हनु./23906) के मामले में प्रदत्त निर्णय दिनांक 15.07.2016 से आच्छादित पाया जाता है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 30.06.2015 को मैसर्स शिव एडीबल लि. बनाम सी.टी.ओ. (S.B. Sales Tax (vat) Revision P.No.203/2012) के प्रकरण में प्रदत्त निर्णय को आधार बनाया जाते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र को विस्तृत व्याख्या करते हुए, खारिज किया गया है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 01.03.2017 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के विरुद्ध यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. बहस विद्वान उभय पक्ष सुनी गई।





4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि प्रकरण में खल (Oil Cake) कर मुक्त माल (Exempted Goods) की श्रेणी में होने के कारण इसके सम्बन्ध में I.T.C. Reverse किया है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि खल By Product है तथा इससे सम्बन्धित कच्चा माल कर चुका कर खरीदा गया है। प्रकरण में दुर्गेश्वरी बनाम सरकार के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर I.T.C. Reverse किया गया है जबकि दुर्गेश्वरी बनाम सरकार का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तथा जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता जब तक स्थगन दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरण में निहित विवादित बिन्दू माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है। अधिनियम में क्रय किये गये रॉ-मेटेरियल पर उसी सीमा तक इनपुट टैक्स देय है जिस सीमा तक टैक्सेबल गुड्स का निर्माण किया जाता है। प्रकरण में स्थगन दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। स्थगन प्रार्थना पत्र विधिरूप से खारिज किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया वह बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय (2016) 89 वेट एण्ड सर्विस टैक्स केसेज 54 शिव एडिबल्स लिमिटेड बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, कोटा व अन्य निर्णय दिनांक 30.09.2015 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"Accordingly, when similar view has already been taken by this court on indential facts, there is no reason to deviate with the judgment rendered in CTO V. Durgeshwari Food Ltd., Shri Ganganagar [2012] 32 Tax Update 3.

At his juncture, counsel for the petitioner canvassed that the Hon'ble Apex Court in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar, has admitted special leave petition and contends that the present petition be kept pending till disposal of appeal by the Hon'ble Apex Court or in the alternative she contends that whatever order will be passed by the Hon'ble Apex Court in SLP in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar, should also govern the fate of the instant revision petition.

Accordingly, the revision petition stands dismissed in the light of judgment rendered in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar [2012] 32 Tax Update 3, with a rider that in case the judgement by Hon'ble Apex Court is decided in favour of the assessee in that case then this revision petition will be governed by the verdict of the Hon'ble Apex Court in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar."

27/

*[Handwritten Signature]*

लगातार.....3





माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश में वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फुड लि. (2012) 32 Tax Update में पारित निर्णय को यथावत रखा है।

8. वेट अधिनियम 2003 की धारा 18 में उल्लेखित प्रावधान " however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section." से भी यह स्पष्ट है कि यदि क्रय किये गये माल का उपयोग आंशिक रूप से Taxable और आंशिक रूप से अन्यथा प्रयोग किया जाता है तो input tax credit अनुपातिक रूप से दिया जायेगा।

9. इस प्रकार विधिक स्थिति के अनुसार input tax credit उसी सीमा तक देय है जिस सीमा तक Taxable Goods का निर्माण किया जाता है तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत से भी इस धारणा की पुष्टि होती है। इस प्रकार विधिक स्थिति एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के आलोक में अपील अच्छे हेतुक ( Good Cause) की श्रेणी में नहीं होने के कारण स्थगन दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

  
( नन्धूराम )  
सदस्य

  
( राजीव चौधरी )  
सदस्य